न्यायालयः–उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,रायपुर (पाली)
पीठासीन अधिकारी :–श्री राजेश मेवाड़ा आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 50/2018
प्रकरण दर्ज तिथि :– 25.04.2018

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1.लाडू पुत्र लाखा जाति मेरात निवासी बाबरा,		1. हरि पुत्र जफरू जाति मेरात निवासी बाबरा 2. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, बाबरा 3.तहसीलदार रायपुर

दावा बाबत् घोषणा वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित 1 श्री जसवंत सिंह सांखला अधिवक्ता वादीगण
2 श्री भूपेन्द्र सैन अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 01

निर्णय

दिनांकः 15.02.2022

वादी की ओर से वकील श्री जसवंत सिंह सांखला द्वारा दावा बाबत् घोषणा वादपत्र धारा 88 राज. काश्त. अधि. के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण न्यायालय में पेश किया गया है। वाद पत्र का संक्षिप्त विवरण यह है कि सरहद मौजा कोलपुरा, पटवार हल्का बाबरा, भू. अभि. नि. क्षैत्र बाबरा, तहसील रायपुर जिला पाली राज. में निम्न वर्णीत आराजीयात स्थित है।

खाता संख्या नया	खाता संख्या पुराना	खसरा संख्या	रकबा बीघा–बिस्वा	किस्म
167	161	2647	07–00	बारानी दोयम
		2657	04–06	बारानी दोयम
कुल खसरा – 2,			कुल रकबा 11 बिघा 06 बिस्वा	

उपरोक्त वर्णीत आराजीयात को आगे वाद पत्र मे वादग्रस्त आराजीयात के नाम से सम्बोधित किया जाएगा तथा जमाबन्दी सवत् 2071–2074 की वर्तमान जमाबंदी,, प्रतिवादीगण सं. 1 के पिता जफरू पुत्र लाखा के द्वारा किया गया रजिस्टर्ड बेचाननामा की फोटो प्रति वाद पत्र के साथ पेश है जिसे वाद पत्र का आवश्यक भाग माना जावें। उपरोक्त वादग्ररत आराजी मे प्रतिवादीगण की पुश्तैनी खातेदारी भुमि है जो प्रति– वादी सं. 1 के पिता जफरू पुत्र लाखा के नाम 1/3 वा हिस्सा रेकर्ड दर्ज था। पुर्व प्रतिवादी के पिता जफरू जी ने जीवित रहते अपने जीवनकाल मे उन्होने अपनी खातेदारी भुमि वादग्रस्त भुमि की सम्पुर्ण खातेदारी भुमि का बेचान वादी को कर दिया था। उक्त बेचाननामा दिनांक 09/12/1988 मे उपंपजीयन कार्यालय मे रजिस्टर्ड भी करवा दिया जिसकी फौटो प्रति वादपत्र के साथ प्रस्तुत है । जिस बेचाननामा से प्रतिवादी सं. 01 के पिता ने अपना कब्जा हटा वादी को कब्जा करा दिया। वादी ने खातेदारी खरीद कर कब्जा कर वादग्रस्त आराजी पर काश्त चालु कर दी एवं वादी ने पजीकृत दस्तावेज की एक फोटो प्रतिलिपि तत्कालीन पटवारी महोदय को दी एवं यह सद्विश्वास में रहा की पटवारी महोदय ने उस बेचान नामा का नामान्तरण भर दिया होगा। प्रतिवादी सं. 01 के पिता जफरू फौत होने पर प्रतिवादी सं. 1 ने अपने वादग्रस्त आराजी का नामान्तरण अपने नाम भरवा लिया एवं अपने नाम जमाबन्दी मे दर्ज होने से प्रतिवादी सं 2 बैंक से ऋण भी ले लिया जो जमाबन्दी अनुसार आज दिंनाक तक चला आ रहा है। वादी इसी सदविश्वास से काश्त करते आ रहा है कि पटवारी ने उसका नामान्तरण भर दिया है। परन्तु तत्कालीन पटवारी महोदय ने बेचाननामा का नामान्तरण नहीं भरा। वादी अनपढ होने से कभी जमाबन्दी का अवलोकन नहीं किया न ही कभी जरूरत नहीं पडी जबकि खरीद बेचान दिंनाक से आज तक वादी का ही कब्जा काश्त है। वर्तमान मे वादी को ऋण कि आवश्यकता होने पर हल्का पटवारी से जमाबन्दी निकलवाई एवं हल्का पटवारी के द्वारा जमाबन्दी का अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ कि वर्तमान जमाबन्दी मे वादी का रजिस्ट्री पुर्व अनुसार 1/3 हिस्सा ही दर्ज चला आ रहा है। वादी जमाबन्दी की नकल एवं पंजीकृत दस्तावेत लेकर वर्तमान पटवारी महोदय के पास जाने पर हल्का पटवारी ने नामान्तरण पुर्व मे किये होने का मना कर दिया जब वादी ने पटवारी हल्का को निवेदन किया कि आप नामान्तरण भर दे तो उन्होंने ऋण दर्ज होने एवं बेचान कर्ता के स्थान पर उसके पिता के नाम

उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (पाली)

Scanned with CamScanner

दर्ज होने न्यायालय मे वाद कर आदेश करवाकर लाने की सलाह दी । इसलिये पजीकृत दस्तावेज का नामान्तरण करवाने हेतु श्री मान के सम्मुख वाद करने की आवश्यता उत्पन्न हुई। वादी राजस्व रेकर्ड में अपना नाम दर्ज करवाने के अधिकारी है, इसलिये यह वाद माननीय न्यायलय में प्रस्तुत किया जा रहा है। सरहद मौजा कोलपुरा पटवार हल्का बाबरा के खसरा नं 2647 व 2657 रकबा क्रमशः 07 बिघा एवं 04 बिघा 06 बिस्वा मे दर्ज खातेदार हरि पुत्र जफरू 1/3 की जमीन में वादी द्वारा हरि के पिता जफरू से दिनाक 09/12/1988 को सम्पुर्ण हिस्सा खरीद करने से वादी को जरिये बेचाननामा इकरार एवं रजिस्ट्री के आधार पर हरि पुत्र जफरू 1/3 के स्थान पर लाडु पुत्र लाखा को खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावे। अगर बैक मे ऋण बकाया हो तो प्रतिवादी सं 01 को पावन्द करावे कि वो बैंक मे ऋण जमा करावे। जिससे वादी को बेंक से ऋण लेने एवं काश्तकारी जमीन से मिलने वाले अन्य लाभ ले सके।

अतः वादीगण का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर जरिये सम्मन प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण संख्या 01 की ओर वकील श्री भूपेन्द्र सैन द्वारा वकालतनामा पेश किया जो शामिल मिशल किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 ने जरिये अधिवक्ता इकबालिया जबाव प्रस्तुत किया जिसमें वादी द्वारा चाही गई इस्तेदुआ स्वीकार होना पाया और उक्त वादपत्र पर कोई आपत्ति नही की हैं। वादी अधिवक्ता के प्रस्तुत दस्तावेज उक्त भूमि रहन मुक्त हैं। वादी संख्या 02, की ओर अधिवक्ता श्री मानवेन्द्र द्वारा वकालतनामा पेश किया, जो शामिल मिसल किया गया। उभय पक्षीय वकुलाय से पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज पर बहस सुनी गई। बहस के दौरान दिये गये तर्को एंव पत्रावली पर पेश दस्तावेजो एंव वादीगण व प्रतिवादीगण द्वारा पेश जबाव का गहनता पूर्वक अवलोकन एंव मनन करने पर सरहद मौजा कोलपुरा पटवार हल्का बाबरा भू. अभि. नि. क्षैत्र बाबरा, तहसील रायपुर के खसरा नं 2647 व 2657 रकबा क्रमशः 07 बिघा एवं 04 बिघा 06 बिस्वा मे दर्ज खातेदार हरि पुत्र जफरू 1/3 के स्थान पर लाडु पुत्र लाखा दर्ज किये जाने के आदेश दिया जाना न्यायोचित समझते है।

आदेश

अतः वादीगण का वाद बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर **सरहद मौजा कोलपुरा पटवार हल्का बाबरा भू. अभि. नि. क्षैत्र बाबरा, तहसील रायपुर के खसरा नं 2647 व 2657 रकबा क्रमशः 07 बिघा एवं 04 बिघा 06 बिस्वा मे दर्ज खातेदार हरि पुत्र जफरू 1/3 के स्थान पर लाडु पुत्र लाखा दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाकर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।** शेष खाता यथावत रहेगा। तदानुसार डिक्री पर्चा बनाया जाकर पालना हेतु तहसीलदार रायपुर को प्रेषित किया जावें। तहरीर जारी हों। पत्रावली फैसल शूमार होकर दर्ज नम्बर से कम हों।

(राजेश मेवाड़ा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (पाली)

यह निर्णय आज दिनांक 15.02.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (पाली)

Scanned with CamScanner

(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix "d" –1)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, रायपुर
बईजलास :– श्री राजेश मेवाड़ा आर.ए.एस.

वादीगण	**बनाम**	**प्रतिवादीगण**
1.लाडू पुत्र लाखा जाति मेरात निवासी बाबरा.		1. हरि पुत्र जफरू जाति मेरात निवासी बाबरा 2. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, बाबरा 3.तहसीलदार रायपुर

दावा बाबत् घोषणा वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राज. काश्त. अधि.
राजस्व वाद 50/2018

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतईरूबरू हमारे व हाजरी श्री जसवंत सिंह सांखला अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुदईव श्री भूपेन्द्र सैन अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 01 मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है अतः वादीगण का वाद बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा कोलपुरा पटवार हल्का बाबरा भू. अभि. नि. क्षैत्र बाबरा, तहसील रायपुर के खसरा नं 2647 व 2657 रकबा क्रमशः 07 बिघा एवं 04 बिघा 06 बिस्वा मे दर्ज खातेदार हरि पुत्र जफरू 1/3 के स्थान पर लाडु पुत्र लाखा दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाकर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष खाता यथावत रहेगा।

नीज......................×.................मुबलिक...............×..............बाबत्............×............. खर्चा इस मुकदनें मय सूद व शहर ....×................फीस सदी सालाना आज तारीख वसूल याबी तक ....
....................×..........................को अदा करे।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 15.02.2022 को जारी किया गया।

(राजेश मेवाड़ा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (पाली)

मुद्दई		रूपया	पै.	मुद्दयलह		रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीनामा	–	03	00	स्टाम्प वकालतनामा	–	27	00
स्टाम्प वकालतनामा	–	02	00	स्टाम्प हाजरी	–	00	00
स्टाम्प वजह सबूत	–	00	00	मेहनताना वकील पर	–		
मेहनताना वकील	–			खर्चा गवाहान	–		
खर्चा गवाहान	–			फीस कमिश्नर	–		
फीस कमिश्नर	–			बाबत इजराय हुक्मनामा	–		
बाबत इजराय हुक्मनामा	–			मुतफरिक	–	00	00
मुतफरिक	–		00	मीजान			
मीजान		05	00			27	00

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो नही दर्ज किया जावें।

Scanned with CamScanner